नियमावली-1

संगठन का ब्यौरा, कार्य और कर्त्तव्य

2.1 जन प्राधिकार के लक्ष्य / प्रयोजन

विश्वविद्यालय के निम्नांकित लक्ष्य होंगे-

- ज्ञान की उन शाखाओं में जिनमें उचित समझे निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान कर शिक्षा का प्रसारन करना और इसे बढ़ावा देना;
- अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान करना;
- शिक्षण-ज्ञानार्जन प्रक्रिया और अंतर विषयी अध्ययन एवं अनुसंधान में नवप्रर्वतन को बढ़ावा देने के लिए समुचित उपाय करना।
- देश के विकास के लिए जनशक्ति को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना;
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के साथ सम्पर्क स्थापित करना और
- सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों एवं जन कल्याण, तथा उनके बौध्दिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विकास में सुधार हेतु विशेष ध्यान देना।

2.2 **जन प्राधिकार के लक्ष्य/ दूरदृष्टि**

दूरदृष्टि

नवाचार, रचनात्मक प्रयत्नों तथा विद्वतापूर्ण अन्वेषण को बढ़ावा देते हुए व्यक्तियों, राष्ट्र तथा समस्त विश्व की शांति एवं समृद्धि के लिए ज्ञान आधारित समाज हेतु प्रबुद्ध नागरिकवर्ग विकसित करना।

लक्ष्य

- विद्यार्थियों और संकाय के उत्थान एवं विकास के लिए ज्ञानवर्धक वातावरण प्रदान करना। विश्वविद्यालय-तंत्र अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए; अग्रणी अनुसंधान, विद्वतापूर्ण अन्वेषण तथा रचनात्मक प्रयत्नों के माध्यम से भारत की शैक्षिणक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति में योगदान देगा।
- विश्वविद्यालय भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के साथ ज्ञानार्जन का परिवेश निर्मित करने और नूतन शिक्षण तथा समग्र शैक्षणिक वातावरण के माध्यम से छात्रों द्वारा उपयोगी ज्ञान, संचार कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमताएँ अर्जित करने को बढ़ावा देने हेतु प्रयत्नशील रहेगा।
- ज्ञान के परम्परागत और नए/उभरते हुए क्षेत्रों में अत्याधुनिक उपयोगी अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- प्रत्येक क्षेत्र/विषय में प्रासंगिकता और गुणवत्ता पर ध्यान देना।
- शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्रों में विश्वस्तरीय पहचान बनाना।
- संकाय एवं विद्यार्थियों दोनों के लिए संदर्भगत और सांस्कृतिक शिक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना।

- परिसर में प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने में सरकार, उद्योग, समुदाय आदि सहित सभी भागीदारों को शामिल करना।
- नए ज्ञान और समाज केंद्रित दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम की सतत समीक्षा करना और उसे अद्यतन बनाना।
- राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहभागिता।
- शैक्षणिक एवं अनुसंधान क्षेत्रों में अन्तर्विषयक दृष्टिकोण।
- परिसर में सर्वश्रेष्ठ सत्यनिष्ठा, नैतिकता और मूल्यों का सृजन करना और इन महत्त्वपूर्ण घटकों के साथ कोई समझौता नहीं करना।
- वर्तमान शैक्षणिक एवं अनुसंधान क्षेत्रों का वैविध्यपूर्ण विस्तार करना और उन्हें चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना।
- प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता एवं नवाचार को बढ़ावा देना।

2.3 जन प्राधिकारी और उसके गठन का संक्षिप्त इतिहास:

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 (2009 के अधिनियम सं. 25) के तहत हुई। विश्वविद्यालय के स्थल की पहचान जांट-पाली गाँव, महेंद्रगढ़, हरियाणा में की गई। स्थल का चयन केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श से किया गया।

विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य बी.एड. कालेज नारनौल से 19 नवम्बर 2009 को भवन का स्वामित्व संभालने के बाद शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से शैक्षणिक कार्यक्रम में एम.फिल. अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान तथा पी.एच.डी. अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शुरू किया।

2.4 जन प्राधिकारी के कर्तव्य

2.4.1 निम्नांकित का सृजन:

- परिसर में एक सहायक वातावरण, नेतृत्व एवं विकास के अवसर बनाना और छात्रों एवं स्टाफ की जरुरतों को पूरा करना।
- अनुदेशपरक प्रौद्योगिकी, छात्र समर्थित सेवाएं एवं जीवनपर्यंत अधिगम शिक्षा (आभासी कक्षा, ऑनलाइन अभ्यास एवं परीक्षाएं, ई-शिक्षण एवं अध्ययन) सहित उच्च शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी ।
- भारत एवं विदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से भौतिक, मानव, सूचनाएं और अन्य संसाधनों की साझेदारी के प्रति वचनबद्धता।
- शिक्षण, अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु अंतर्विषयी व बहुविषयी दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना ।
- अद्यतन विकास को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा करना और उसमें संसोधन करना तथा संकाय, विधार्थियों और अन्य हितधारकों जिनमें उद्योग, व्यापार, कॉरपोरेट क्षेत्र और समुदाय शामिल हैं, की प्रतिपुष्टि प्राप्त करना।
- अधिक संवेदनशील एवं चिंतनशील अध्यापन को अपनाना - शिक्षा की व्याख्यान पद्धति के स्थान पर भागीदारीपरक, संवादापरक, सहयोगात्मक दृष्टिकोण; शैक्षिक एजेंडा को दिशा देने के लिए समूह चर्चा, गहन अध्ययन, संगोष्ठी पाठ्यक्रम तथा शिक्षण के प्रति अनुप्रयुक्त दृष्टिकोण।

- समेस्टर प्रणाली एवं विकल्प क्रेडिट प्रणाली को अपनाना तथा मूल्यांकन प्रणाली केवल विषय सामग्री अध्ययन परिलक्षित न करे, अपितु किए गए योगदान एवं कक्षा में अर्जित अनुभव को करे।
- सभी कार्यक्रम समेस्टर पद्धति की क्रेडिट आधारित विकल्प प्रणाली (सीबीसीएस) पर प्रदान किए जाते हैं। क्रेडिट आधारित विकल्प प्रणाली (सीबीसीएस) की कुछ अलग विशेषताएँ हैं:
- सीखने के उन्नत अवसर, विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता, विद्यार्थी अध्ययन के विषय का चुनाव दूसरे स्कूलों से कर सकते हैं, शिक्षा की गुणवता और श्रेष्ठता में सुधार, देश भर में नवप्रवर्तन और तुलनात्मक शैक्षणिक कार्यक्रम, आदि। सीबीसीएस के इन पाठ्यक्रम के नवप्रवर्तनों का उद्देश्य शिक्षा का एकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मक जगत हेतु आधुनिक युग के विद्यार्थियों का सम्पूर्ण विकास करना है। उभरते सामाजिक-आर्थिक परिवेश के लिए सीबीसीएस उत्कृष्ट रुप से सही है और भावी पीढ़ी की शैक्षणिक और व्यवसायिक आकांक्षाओं के प्रति प्रभावी रूप से पूरा कर सकती है। देश में विद्यार्थियों, संस्थानों और उच्च शिक्षा प्रणाली को नई उच्चाइयों तक पहुँचाने में आधुनिक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से सीबीसीएस के दक्षतापूर्ण और प्रभावी रुप से संचालित करने की उच्च संभावना है।
- उच्च शिक्षा के अन्तरराष्ट्रीयकरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों हेतु पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम।
- राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ठोस साझेदारी एवं समझौता करना।
- संयुक्त डिग्री, सामुहिक अनुसंधान परियोजनाओं एवं सहयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से अन्तराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- कम लागत. बेहतर सुविधाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का लाभ लेते हुए विदेशी छात्रों के लिए आर्कषण का केन्द्र बनाना।
- विज्ञान व तकनीकी, कम्प्यूटर व सूचना विज्ञान, कानून व शासन में नवप्रवर्तन और उर्जा और पर्यावरण जो आज इस हमारे लिए क्षेत्र में और विश्व में महत्वपूर्ण हैं, जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय अनुसंधान का समर्थन करने के लिए सतत विकास विश्वविद्यालय के समग्र उद्देश्य का अभिन्न हिस्सा होना।

2.5 जन प्राधिकारी के मुख्य क्रियाकलाप/कार्य

(i) प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा जैसे शिक्षण क्षेत्रों जैसाकि विश्वविद्यालय समय- समय निर्धारित करना, और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान के विकास एवं प्रसार हेतु प्रावधान करना;

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार परीक्षा के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर या अन्य जांच प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों को डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र, उपाधियाँ और अन्य शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रदान करना और उचित एवं पर्याप्त कारण से ऐसा कोई डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र, उपाधि अथवा अन्य शैक्षणिक उत्कृष्टता वापस लेना;

(iii) बाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएँ आयोजित करना;

(iv) संविधियों में निर्धारित मानदंडो के अनुसार मानद उपाधियाँ तथा अन्य उत्कृष्टताएँ प्रदान करना;

(v) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करना, जैसाकि निर्धारित किया गया हो;

(vi) विश्वविद्यालय की जरूरत के अनुसार प्रधानाचार्य, आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य तथा दूसरे अध्यापन या शैक्षिक पदों को प्रारम्भ करना तथा प्रधानाचार्य, आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य तथा दूसरे अध्यापन या शैक्षिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(vii) विश्वविद्यालय के यथानिर्धारित आशयों हेतु उच्च शिक्षा के किसी संस्थान को मान्यता देना तथा ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(viii) किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान, देश के बाहर स्थित को भी शामिल करते हुए, में कार्यरत व्यक्तियों को एक निर्धारित समयावधि के लिए विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त करना;

(ix) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य पद सृजित करना और इन पर नियुक्तियाँ करना;

(x) किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण और उच्च शिक्षण संस्थान जो देश के बाहर स्थित शामिल हैं, के साथ ऐसे उद्देश्यों के लिए सहयोग करना जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए हों;

(xi) अनुसंधान तथा अनुदेश हेतु ऐसे केन्द्र और विशेष प्रयोगशालाएँ और अन्य शाखाएं हेतु खोलना जो विश्वविद्यालय की राय में अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हों;

(xii) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार शुरू एवं प्रदान करना;

(xiii) कालेज, संस्थान और हाल स्थापित करना और उनकी देखरेख करना;

(xiv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए प्रावधान करना और इस आशय से अन्य संस्थानों, उद्योगों और संगठनों के साथ ऐसी व्यवस्थाएँ करना जो विश्वविद्यालय जरूरी समझे;

(xv) अध्यापकों, मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य शैक्षणिक संकाय के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ आयोजित और संचालित करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्रगति के लिए अतिथि आचार्य, मानद आचार्य, परामर्शदाता और ऐसे अन्य व्यक्तियों की संविदा पर या अन्य प्रकार से नियुक्ति करना;

(xvii) संविधियों के अनुसार किसी कॉलेज या संस्थान या विभाग को यथास्थिति स्वायत्तता प्रदान करना;

(xviii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानदंड निर्धारित करना जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन और जांच का कोई अन्य तरीका शामिल है;

(xix) शुल्क और दूसरे प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xx) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के रहन-सहन का पर्यवेक्षण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;

(xxi) सभी श्रेणी के कर्मचारियों हेतु, आचार नियमावली सहित उनकी सेवा की शर्ते निर्धारित करना;

(xxii) विद्यार्थियों और कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित एवं लागू करना, और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा जरूरी समझे गए हों;

(xxiii) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना;

(xxiv) विश्वविद्यालय हेतु कोई भी दान, चंदा, अनुदान तथा उपहार ग्रहण करना, और केंद्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति से विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए कोई भी चल या अचल सम्पत्ति, जिसमें ट्रस्ट और धर्मादा सम्पत्ति शामिल हैं, प्राप्त करना, बनाए रखना और संभालना;

(xxv) केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालयी सम्पत्ति की प्रतिभूति पर पैसे उदार लेना; और

(xxvi) अन्य तरह के सभी दूसरे कार्य और चीजें करना जो कि इसके सभी अथवा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक सहायक हों। उपधारा (1) मे दी गई अपनी शक्तियों के द्वारा विश्वविद्यालय का यह प्रयास रहेगा कि वह अध्यापन और अनुसंधान में अखिल भारतीय चरित्र और उच्च मानदंड अपनाए तथा विश्वविद्यालय इस उद्देश्य हेतु अन्य उपायों जो उक्त आशय के लिए आवश्यक हों, के साथ विशेष रूप से निम्नांकित उपाय करना, नामत:-

(xxvii) विद्यार्थियों का प्रवेश तथा संकाय की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाएँगी;

(xxviii) विद्यार्थियों का प्रवेश मैरिट पर या सामान्य प्रवेश परीक्षा के द्वारा जो विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर या दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया हो, किए जाएँगे या जहां छात्रों संख्या कम हो, पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएँगे;

(xxix) सूवाह्य पैंशन और वरिष्ठता को कायम रखते हुए संकाय की अंतर विश्वविद्यालयी गतिशीलता को बढावा दिया जाएगा;

(xxx) सेमेस्टर प्रणाली, सतत मूल्यांकन और विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम प्रणाली लागू की जाएगी तथा विश्वविद्यालय क्रेडिट स्थानांतरण और संयुक्त उपाधि कार्यक्रम के लिए दूसरे विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों के साथ समझौते करेगा;

(xxxi) समय-समय पर समीक्षा और पुनर्गठन के प्रावधान के साथ अध्ययन के नवाचार पाठ्यक्रम और कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएँगे;

(xxxii) विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक क्रियाकलापों जिसमें अध्यापकों का मूल्यांकन भी शामिल है, में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी

(xxxiii) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद या किसी अन्य प्रत्यायन परिषद से राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त की जाएगी; और

(xxxiv) प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ ई-गर्वनंस प्रारंभ की जाएगी।

2.6 जन प्राधिकारी द्वारा दी जा रही सेवाओं की सूची संक्षिप्त विवरण के साथ

गुणवत्तापरक शिक्षण - विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है। संबंधित विषय में नवीनतम विकास की अपेक्षाओं के साथ विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना उपलब्ध है और संकाय इसका सर्वोत्तम तरीके से प्रयोग करने में सक्षम हैं।

मार्गदर्शन और परामर्श - बदलते परिदृष्य को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ अपेक्षित हो संकाय द्वारा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श दिया जाता है।

अनुसंधान*

हितधारकों के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों की समीक्षा तथा मूल्यांकन को सतत रूप से सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड होगा। बेहतर निष्पादन हेतु नियमित मानीटरन करने तथा सुझाव देने के लिए सस्थागत व्यवस्थाएँ होंगी। ये व्यवस्थाएँ विश्वविद्यालय से अथवा बाहर से वैविध्य प्रकार से अनुभवी और विशेषज्ञों को मिलाकर बनेंगी। योजना बनाने, मानीटरन करने तथा विश्वविद्यालय के निष्पादन के मूल्यांकन में संकाय, विद्यार्थी समुदाय और सहयोगी स्टाफ अहम योगदान करेंगे।

2.7 विभिन्न स्तरों नामत: राज्य, निदेशालय, जिला क्षेत्र, खंड आदि (जो भी लागू हो) पर संगठन का संरचनात्मक खाका:

भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे

निम्नलिखित विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे, नामत:-

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) सम-कुलपति;

(4) स्कूलों के संकाय-अध्यक्ष;

(5) कुलसचिव;
(6) वित्त अधिकारी;
(7) परीक्षा नियंत्रक;
(8) पुस्तकालयाध्यक्ष; और
(9) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें संविधि से विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए।

2.8 अपनी प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए जन प्राधिकारी की आम जनता से अपेक्षा।
विश्वविद्यालय के अंदर तथा इसके आसपास मर्यादा, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना।

2.9 जन भागीदारी/सहयोग प्राप्त करने हेतु व्यवस्थाएँ एवं तरीके
जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005

2.10 सेवा प्रदान करने तथा लोगो की शिकायत दूर करने हेतु उपलब्ध निगरानी तंत्र
जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तर के अन्य कार्यालयों के पते (कृपया प्रयोक्ता की सुविधा हेतु पतों का जिलावार वर्गीकरण करें)

स्थाई परिसर
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय,
जांट-पाली, महेंद्रगढ़, हरियाणा, पिन- 123029
फोनः 01285-249402
ई-मेलः contact@cuharyana.org
अस्थाई परिसर/ 3113, डीएलएफ फेज-III, मकान नं. टी-25/8 के सामने, सेक्टर-24, गुड़गाँव-122010

2.12 कार्यालय खुलने का समयः
9:00 पूर्वाह्न

कार्यालय बंद होने का समयः
5:30 अपराह्न

* विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है।
वास्तविक जीवन से जुड़ी संगोष्ठी आदि के माध्यम से अनुसंधान कार्यप्रणाली को सीखने के प्रति जोर दिया जाता है।